



साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

159

(बिहार सरकार का उपक्रम)

निबंधित कार्यालय: विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21

(मा0स0 एवं प्रशासन विभाग)

CIN No. U40109BR2012SGC018890

ज्ञापक :- VIII/SB/App-Comp.-2040/14- 280

दिनांक :- 26/7/16

(निबंधित)

नाम- विमलेश कुमार,
पुत्र स्व0 जितेन्द्र प्रसाद शर्मा,
भू0पू0 भण्डार सहायक, विद्युत केन्द्रीय भंडार, पेसू, पटना।

पता- ग्राम-लहियारचक
पो0- आलमपुर गोनपुरा, थाना- फुलवारीशरीफ,
जिला-पटना

विषय:- श्री विमलेश कुमार, पुत्र स्व0 जितेन्द्र प्रसाद शर्मा का अनुकम्पा के आधार पर **Unskilled Worker** के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

पूर्ववर्ती बोर्ड में सेवा के दौरान आपके पिता जितेन्द्र प्रसाद शर्मा के दिनांक 26.06.2012 को मृत्यु के कारण आपको पूर्ववर्ती बोर्ड सम्प्रति बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कंपनी के प्रावधानों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया।

बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 786 दिनांक 08.08.14, कार्यालय आदेश संख्या 1196 दिनांक 08.12.2014, कार्यालय आदेश संख्या 118 दिनांक 05.02.2015, पत्रांक-111 दिनांक- 02.03.2015 एवं कार्यालय आदेश सं0-275 दिनांक-17.03.15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए गठित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक 05.05.2016 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में आपको औपबंधिक रूप से अस्थायी Unskilled Worker के पद पर प्रारम्भिक वेतन रू0 7000-11500/- (सात हजार से ग्यारह हजार पाँच सौ) मात्र के अंतर्गत एकमुश्त वेतन **(Consolidated Pay)** रू0 7000/- (सात हजार रूपया) मात्र मासिक पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है एवं कार्यालय आदेश संख्या 01 दिनांक 01.01.2015, कार्यालय आदेश सं0-286 दिनांक-19.03.15 एवं कार्यालय आदेश सं0 650 दिनांक 22.07.2014 में निहित शर्तों के अधीन **परिवीक्षा अवधि की समाप्ति तथा प्रशिक्षणोपरांत प्रतिमाह PB- I के Pay Scale (5200-20200/-) में ग्रेड पे-1800/-** देय होगा।

आपका चयन अस्थायी अकुशल श्रमिक (Unskilled Worker) के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना एवं इसके क्षेत्राधिकार में पड़नेवाले किसी भी कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जिसे उभय पक्ष की ओर से 7 (सात) दिनों की पूर्व सूचना पर समाप्त की जा सकती है।
3. कंपनी का भर्ती नियमावली (Recruitment Policy) आप पर लागू होगा तथा कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तें भी लागू होंगी।
4. आपका चयन अनुकम्पा के आधार पर किया जाता है अतः स्व0 जितेन्द्र प्रसाद शर्मा के आश्रितों के भरण-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर होगा। यदि आप इस उत्तरदायित्व का अवहेलना करेंगे तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा एवं आपकी सेवा इस आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

158

5. यदि आपके द्वारा नियुक्ति हेतु दिये गये सूचना/अभिलेख/प्रमाण-पत्र यथा नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, मृत कर्मी के साथ संबंध आदि कभी भी सेवाकाल में असत्य पाये जाने पर बिना कोई पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

6. जाँच हेतु उपस्थित होने के समय प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि:-

- (क) मैं मृत कामगार का आश्रित हूँ।
- (ख) मृत कामगार के कोई अन्य आश्रित पूर्व में अनुकम्पा के आधार पर पूर्ववर्ती बोर्ड अथवा बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना एवं इसके अनुषंगी कंपनी में नियोजित नहीं है।
- (ग) मृत कामगार की पत्नी एवं कोई अन्य आश्रित किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं है।
- (घ) मैं किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं हूँ।
- (ङ) सामुहिक जीवन बीमा का भुगतान प्राप्त हो गया है।
- (च) मैं विवाह में दहेज नहीं लुगाँ/विवाह में दहेज नहीं दूँगी (अविवाहित होने पर) अथवा मैं विवाह में दहेज नहीं लिया हूँ एवं मेरी एक मात्र जीवित पत्नी है। जिसका नाम श्रीमती है। (विवाहित होने पर)
- (छ) नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पत्र की सभी सूचनाएँ सही हैं। सूचनाओं के गलत पाये जाने पर मेरी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- (ज) मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
- (झ) पूर्व में किसी नियोजक द्वारा मेरी सेवा समाप्त नहीं की गई है।
- (ञ) मैं मृत कर्मी के आश्रितों/परिवार का भरण पोषण करूँगा। यदि इसकी अवहेलना करूँगा तो गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा कारण पृच्छा पूछकर मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

7. जाँच के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

- (i) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक/ बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना एवं इसके अनुषंगी कंपनियों के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- (iii) जाति प्रमाण-पत्र।
- (iv) आय प्रमाण-पत्र।
- (v) मृत्यु प्रमाण-पत्र।

8. जाँच में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. उपरोक्त क्रमांक-6 एवं 7 में वर्णित शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति समर्पित नहीं करने पर आपके योगदान पर निर्णय नहीं लिया जायेगा।

यदि आपको उपर्युक्त शर्त मान्य हो तो दिनांक-11.08.2016 को वांछित कागजात/ प्रमाण-पत्र/ शपथ-पत्र मूलरूप में तथा उसकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ महाप्रबंधक (मा0सं0 एवं प्रशा0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हो ताकि आपके प्रमाण-पत्रों/शपथ-पत्रों के जाँचोपरांत आपके योगदान के संबंध में निर्णय लिया जा सके। अन्यथा निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर आपकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(आर0ई0शर्मा)

उपमहाप्रबंधक(मा0सं0एवं प्रशा0)



साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

161

(बिहार सरकार का उपक्रम)

निबंधित कार्यालय: विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21

(मा0स0 एवं प्रशासन विभाग)

CIN No. U40109BR2012SGC018890

ज्ञापक :- VIII/SB/App-Comp.-2040/14- 281

दिनांक :- 26/7/16

नाम- रवि कुमार,
पुत्र स्व0 उमा देवी,
भू0पू0 संदेशवाहिका, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, अस्थावों।

(निबंधित)

पिता- स्व0 दुखी यादव,
पता- ग्राम-/नगर- अस्थावों,
पो0- अस्थावों, थाना- अस्थावों,
प्रखंड + अनुमंडल- बिहारशरीफ,
जिला-नालन्दा।

विषय:- श्री रवि कुमार, पुत्र स्व0 उमा देवी का अनुकम्पा के आधार पर Unskilled Worker के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

कंपनी में सेवा के दौरान आपके माता स्व0 उमा देवी के दिनांक 18.11.2015 को मृत्यु के कारण आपको बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कंपनी के प्रावधानों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया।

बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 786 दिनांक 08.08.14, कार्यालय आदेश संख्या 1196 दिनांक 08.12.2014, कार्यालय आदेश संख्या 118 दिनांक 05.02.2015, पत्रांक-111 दिनांक- 02.03.2015 एवं कार्यालय आदेश सं0-275 दिनांक-17.03.15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए गठित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक 05.05.2016 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में आपको औपबंधिक रूप से अस्थायी Unskilled Worker के पद पर प्रारम्भिक वेतन रू0 7000-11500/- (सात हजार से ग्यारह हजार पाँच सौ) मात्र के अंतर्गत एकमुश्त वेतन (Consolidated Pay) रू0 7000/- (सात हजार रूपया) मात्र मासिक पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है एवं कार्यालय आदेश संख्या 01 दिनांक 01.01.2015, कार्यालय आदेश सं0-286 दिनांक-19.03.15 एवं कार्यालय आदेश सं0 650 दिनांक 22.07.2014 में निहित शर्तों के अधीन परिवीक्षा अवधि की समाप्ति तथा प्रशिक्षणोपरांत प्रतिमाह PB- I के Pay Scale (5200-20200/-) में ग्रेड पे-1800/- देय होगा।

आपका चयन अस्थायी अकुशल श्रमिक (Unskilled Worker) के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना एवं इसके क्षेत्राधिकार में पड़नेवाले किसी भी कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जिसे उभय पक्ष की ओर से 7 (सात) दिनों की पूर्व सूचना पर समाप्त की जा सकती है।
3. कंपनी का भर्ती नियमावली (Recruitment Policy) आप पर लागू होगा तथा कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्त भी लागू होगा।
4. आपका चयन अनुकम्पा के आधार पर किया जाता है अतः स्व0 उमा देवी के आश्रितों के भरण-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर होगा। यदि आप इस उत्तरदायित्व का अवहेलना करेंगे तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा एवं आपकी सेवा इस आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

